

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-15/1744

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक..... 02-06-17

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-70-ई गवर्नेंस, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड-49S470180796700759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष | उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख ₹ में) | अभ्युक्ति |
|------|--|---|-------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80-सामान्य/ 796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना | 70-ई-गवर्नेंस, 07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49S470180796700759 | 36.35920 | |

आवंटित राशि - ₹ छत्तीस लाख पैतीस हजार नौ सौ बीस मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध रु. 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक-17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/378/09 पार्ट-II, 12/17-18 प्र. स्वी., राँची, दिनांक: 25.05.2017 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट-I के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौंसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


01/06
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-


44

राँची, दिनांक :-

02-06-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


01/06
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-


44

राँची, दिनांक :-


02-06-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


01/06/17
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक :- 44

दिनांक :- 02-06-17

परिशिष्ट :- 1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष -70-ई. गवर्नंस,

विरसूत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59-अन्य व्यय, 49S470180796700759

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध 100.00 लाख (एक करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | मुख्य अभियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि | 6 | 7 | वर्ष 2017-18 में निर्गत आवंटन | | | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------------|---------------|---|--|----------|-------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटित राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | जलपथ प्रमंडल, सैधी (DRNMID043) | श्री | E-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्फ्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान एवं विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों / सामग्रीयों के क्रय हेतु। | 12 / 17-18 प्र. स्वी. सैधी, दिनांक: 25.05.2017 | 36.35920 | 0.000 | 0.00000 | 36.35920 | 36.35920 | 38741 | आवंटित राशि का व्यय परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्य हेतु। |
| योग | | | | | | 0.000 | 0.00000 | 36.35920 | 36.35920 | | |

आवंटित राशि:- ₹ छत्तीस लाख पैतीस हजार नौ सौ बीस मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति प्रधान चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

01/06/17

पत्रांक :- 44 दिनांक 02-06-17 का अनुलग्नक परिशिष्ट - 2
विपत्र कोर्ड - 49S470180796700759

| क्र. | प्रमंडल का नाम | योजना का नाम | कार्य का विवरण | अधिष्ठापन का स्थान | संख्या | वर्तमान आवंटन | अभ्युक्ति |
|---|---------------------------------|---|--|---|--------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043) | E-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान एवं विभागीय MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-Procurement Cell के रख-रखाव, आवश्यक उपकरणों / सामग्रियों के क्रय हेतु। | 14 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के भुगतान हेतु। | विभागीय मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत | 14 | 3055920 | |
| | | | Materials and accessories required for MIS Cell | MIS Cell, Web Information Cell-cum-e-procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi | LS | 300000 | |
| | | | Toner for Photo Copier | | | | |
| | | | Cartridge for Printer | | | | |
| Cartridge for Color Printer | | | | | | | |
| | | | Paper (A4) & Legal Size (75g/m ²) | | | | |
| | | | Pen Drive/Extrnal Hard Disk | | | | |
| | | | Plastic Folder and Binding Material | | | | |
| | | | CD (Recordable and Rewritable) | | | | |
| | | | Software Books, Stationary etc. | | | | |
| | | | Annual Maintenance & Repair of equipment i.e. Photo Copier, Computer, Printer, UPS, Battery, Electrical installation and Internet monthly rental payment etc. of MIS Cell, Nepal House, Ranchi | | LS | 200000 | |
| | | | Repair/Maintenance and Internet monthly rental payment of e-procurement cell | e-Procurement Cell, Water Resources Department, Ranchi | LS | 80000 | |
| Total | | | | | | 3635920 | |
| कुल राशि:- ₹ छत्तीस लाख पैतीस हजार नौ सौ बीस मात्र। | | | | | | | |

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव